"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 21 जनवरी 2011—माघ 1, शक 1932

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
इन्द्रावती खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 जनवरी 2011

क्रमांक 24/चार/वि.स.उप-चु./2011/10.—भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली का अधिसूचना संख्या 100/छ.ग.-वि.स./2/2010, दिनांक 13 जनवरी, 2011 जिला दुर्ग के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 59-संजारी बालोद के लिये विधान सभा उप चुनाव-2011 संबंधी सूचना सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

सुनील कुजूर,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, तारीख 21 जनवरी, 2011—1 माघ, 1932 (शक)

अधिसूचना

संख्या 100/छ.ग.-वि.स./2/2010.—यत: छत्तीसगढ़ राज्य की विधान सभा में 59-संजारी बालोद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री मदनलाल साहू की मृत्यु हो जाने के परिणामस्वरूप दिनांक 22 अगस्त, 2010 से स्थान रिक्त हो गया है; और

2. यत: इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराया जाना है;

3. अत:, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) और धाराओं 30 और 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा :—

(अ) छत्तीसगढ़ राज्य से उक्त 59-संजारी बालोद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम के और तद्धीन बनाये गये नियमों और किये गये आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 21 फरवरी, 2011 (सोमवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित करें;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में :—

(क)	नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख :	28 जनवरी, 2011 (शुक्रवार)
(ख)	नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख :	29 जनवरी, 2011 (शनिवार)
(ग)	अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख :	31 जनवरी, 2011 (सोमवार)
(घ)	वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा :	14 फरवरी, 2011 (सोमवार)
(ङ)	वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा :	21 फरवरी, 2011 (सोमवार)

नियत करता है; और

(इ) 8.00 बजे पूर्वाह्न से 5.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा.

आदेश से,

हस्ता./-
(के. अजय कुमार)
सचिव
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, dated 21st January, 2011—1 Magha, 1932 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100/CG-LA/2/2010.—Whereas, the seat of Sh. Madanlal Sahu, in the Legislative Assembly of the State of Chhattisgarh, elected from 59-Sanjari Balod Assembly Constituency in the State, has become vacant on 22 August 2010 by reason of his death; and

2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the said vacancy;

3. NOW, THEREFORE, in pursuance of sub-section (1) of section 150 and sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby—

(A) Calls upon the said 59-Sanjari Balod Assembly Constituency in the State of Chhattisgarh, to elect, before the 21st February, 2011 (Monday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;

(B) Appoints, with respect to the said election :—

(a) the 28th January, 2011 (Friday), as the last date for making nominations;
(b) the 29th January,2011 (Saturday), as the date for the scrutiny of nominations;
(c) the 31st January, 2011 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
(d) the 14th February, 2011 (Monday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
(e) the 21st February, 2011 (Monday), as the date before which the election shall be completed; and

(C) Fixes the hours from 8.00 A.M. to 5.00 P.M. as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,

Sd/-
(K. AJAY KUMAR)
Secretary
Election Commission of India.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.